

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम खेरी से डोंगलापानी व्हाया डूंडालावा मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग, बुदनी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 047/2022-BHO/ दिनांक 27.01.2023

-----0-----

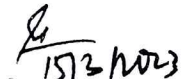
कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 09 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आवेदक संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 07.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जानकारी प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Detailed muck disposal scheme shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण में खुदाई से निकलने वाली उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में किया जावेगा। अतः muck disposal scheme की आवश्यकता नहीं है।
2	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) needs to be submitted/uploaded.	वनसंरक्षक सामान्य वन मण्डल सीहोर के हस्ताक्षर सहित Justification की छायाप्रति संलग्न है।
3	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD etc) shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग में रेल्वे विभाग एवं जल संसाधन विभाग की कोई परियोजना संचालित नहीं है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
4	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि 4.410 हेक्टेयर वनक्षेत्र में केवल मार्ग निर्माण का कार्य किया जा रहा है, अन्य कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

5	Alternative alignment of road is not submitted. If, it is a kucchha road, then details need to be submitted regarding the year of construction of road.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि उक्त मार्ग पूर्व से कच्चा मार्ग है, उसी मार्ग को पक्का किया जा रहा है। आवेदक संस्था द्वारा अन्य विकल्पों की KML file ऑनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C (ii)(b) में अपलोड की गई है।
6	From the google earth imagery a kuccha path/trail is visible. If the proposal is for upgradation of same trail then how tree felling is involved?	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि उक्त मार्ग पूर्व से कच्चा मार्ग है, उसी मार्ग को पक्का मार्ग निर्माण किया जा रहा है।
7	As per DFO Sehore, the proposed diversion area is 1.30 km away from Khewani WLS. Comments of CWLW shall be submitted	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग खिवनी अभ्यारण्य से लगभग 04 कि.मी. की दूरी पर है। अतः CWLW के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।
8	One Irrigation structure (check dam) is visible inside area proposed for diversion. This needs clarification	आवेदक संस्थान ने लेख किया है कि प्रस्तावित मार्ग से चेक डेम लगभग 3.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जो कि काफी दूर स्थित है।
9	Administrative approval/sanction letter of the project needs to be provided	आवेदक संस्थान ने म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 26.05.2022 प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

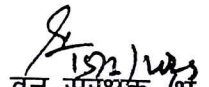
भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1195/2022/10-11/1125
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15/03/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीहोर, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग बुदनी, जिला-सीहोर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, बुधनी

दूरभाष क्रमांक : 07564-235304 ई-मेल - eepwdbudni@mp.gov.in

क्रमांक / 396 / टीएस / 2022-23

बुधनी, दिनांक 07.02.2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम -खेरी से डोंगलापानी व्हाया डुंडालावा मार्ग निर्माण हेतु 4.410 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, संभाग बुधनी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 6-एमपीबी047 / 2022-बीएचओ दिनांक 27 / 01 / 2023

-----0-----

महोदय,

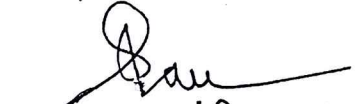
भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा वनभूमि प्रस्ताव 4.410 हेक्टेयर के संबंध में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Detailed muck disposal scheme shall be submitted.	मार्ग निर्माण में खुदाई से निकलने वाली उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने में किया जावेगा तथा अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में किया जावेगा। अतः muck disposal scheme की आवश्यकता नहीं है।
2	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) needs to be submitted/uploaded.	वन संरक्षक सीहोर के हस्ताक्षर सहित Justification प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
3	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD etc) shall be submitted.	प्रस्तावित मार्ग में कोई रेलवे विभाग एवं जल संसाधन विभाग की परियोजना संचालित नहीं है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
4	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	केवल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 4.410 हेक्ट. वनक्षेत्र प्रभावित हो रहा है। कोई अन्य कार्य नहीं किया जा रहा है।
5	Alternative alignment of road is not submitted. If, it is a kucchha road, then details need to be submitted regarding the year of construction of road.	Alternative alignment पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
6	From the google earth imagery a kuccha path/trail is visible. If the proposal is for upgradation of some trail then how tree felling is involved?	केवल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है।

गिफ्त
२

7	As per DFO Sehore, the proposed diversion area is 1.30 km away from Khewani WLS. K Comments of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित मार्ग खिवनी अभ्यारण्य से लगभग 4 कि.मी. दूरी पर स्थित है। अतः CWLW के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।
8	One Irrigation structure (check dam) is visible inside area proposed for diversion This needs clarification	प्रस्तावित मार्ग से चेक डैम लगभग 3.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जो कि काफी दूर स्थित है।
9	Administrative approval/sanction letter of the project needs to be provided.	म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 26/05/2022 प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

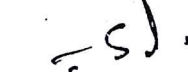


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी
जिला सीहोर

पृ.क्रमांक/396-अ/टीएस/2022-23
प्रतिलिपि:-

बुधनी, दिनांक 07.02.2023

वन संरक्षक, सामान्य वनमण्डल, सीहोर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

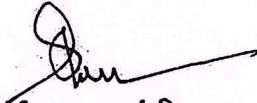


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी
जिला सीहोर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी जिला सीहोर (म.प्र.)

मक डिस्पोजल वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण में खुदाई से निकलने वाली उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने में किया जावेगा तथा अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में किया जावेगा। अतः muck disposal scheme की आवश्यकता नहीं है तथा वनक्षेत्र में कहीं भी मक नहीं डाला जायेगा।



कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी
जिला सीहोर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग
संभाग बुदनी, जिला-सीहोर म. प्र.

JUSTIFICATION

जिला सीहोर अंतर्गत ग्राम खेरी से डोंगलापानी व्हाया डूणडलावा तक मार्ग निर्माण कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत किया जाना प्रस्तावित है प्रस्तावित मार्ग काफी फट्टा है, जिस हेतु 6300 मीटर लम्बाई एवम 7 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना है इस मार्ग का निर्माण हो जाने पर यहाँ रहने वाले ग्रामवासियों को आने-जाने में सुविधा होगी तथा ग्रामवासियों का आचगमन सुगम हो सकेगा ।

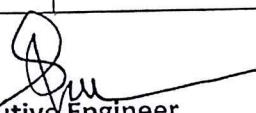
वन संरक्षक
सामान्य वन जंडल सीहोर

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी
जिला-सीहोर म प्र

Alternate alignment

Kheri to Donglapani via Dundlava Road

Alignment	Length in forest (in mtr)	Area in forest (in ha.)
Alternate-1 (Proposed Route & final alignment) (yellow)	6300	4.410
Alternate-2 (Red)	7402	5.181
Alternate-3 (Blue)	6747	4.723


Executive Engineer
PWD Division Budni, District
Sehore

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 26/05/2022

क्रमांक एफ-43/12/2022/19/यो/1934
प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 88वीं बैठक में अनुमोदित सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम खैरी से खोंगलापानी मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने संबंधित।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 10.05.2022 को संपन्न अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 88वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम खैरी से खोंगलापानी मार्ग लंबाई 20.00 कि.मी. का निर्माण कार्य, जिसकी लागत राशि रु. 2827.03 लाख (रु. अठ्ठाईस करोड़ सत्ताईस लाख, तीन हजार मात्र) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य हेतु बजट में माँग संख्या 24-5054-0101-2457 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। उक्त कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

5/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर0 के0 मेहरा)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक 26/05/2022

पृ0 क्रमांक एफ-43/12/2022/19/यो/1935
प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग भोपाल के निज सचिव।

2. मुख्य अभियंता (राज. परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक-1 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

सचिव